न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थितः हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–402 / 2026

भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर वगैरह बनाम् बिहार सरकार

सराय थाना कांड संख्या–164 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

01-04-2026

सराय थाना कांड संख्या–164 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 352, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर उम्र–63 वर्ष पेसर–स्व0 रामदेव ठाकुर, प्रिंस कुमार उम्र–28 वर्ष पेसर–भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर एवं कुमकुम देवी उम्र–51 वर्ष पति–भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर** सभी साकिन–मणि भकुरहर, थाना–सराय, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री बिजली प्रसाद शर्मा** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–10.06.2025 के पूर्वाहन 11.30 बजे सूचक अपने दिग्घीकला, हाजीपुर सदर के आवास से पैतृक आवास पहुंचा तब उसके चचेरे भाई के द्वारा उसके हिस्से की जमीन पर अवस्थित दो पेड़ कटवाकर जमीन पर छोड़े हुए थे जिसे देख वह अपने पट्टीदारों से उक्त पेड़ के संदर्भ में पूछताछ किया और दोनों कटे पेड़ों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने हेतु ग्रामीण मजदूर से उठवाने लगा। तब पीछे से भुवनेश्वर ठाकुर, प्रिंस कुमार एवं कुमकुद देवी लाठी, डंडा एवं लोहे के रड लिए आये और हमला कर दिये। भुवनेश्वर ठाकुर सूचक के उपर लाठी से प्रहार किया और सूचक के गाड़ी चालक संजय कुमार पर लोहे के रड से प्रहार किया जिसे उसका सर फट गया। घटनास्थल से चलते समय उनलोगों पर गोली चलायी गयी लेकिन वे लोग गोली चलाते किसी को नहीं देखे लेकिन प्रिंस कुमार कुछ अपरिचित बदमाश के साथ भागता हुआ दिखा। कुमकुम देवी हाथ में डंडा लिए अभद्र गाली दे रही थी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवकता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस मामले में झुठा जमीनी विवाद के कारण फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य और बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्राथमिकी विलंब से दाखिल की गई है और विलंब का कोई यथोचित कारण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109(1) का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थितः हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–402/2026

भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

01.04.2026

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर लाठी, डंडा एवं लोहे के रड से लैश होकर गाली–गलौज कर मारपीट करने, सूचक के उपर लाठी से प्रहार करने एवं सूचक के गाड़ी चालक संजय कुमार को लोहे के रड से प्रहार कर उसका सर फाड़ देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 03, 38 एवं 39 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है लेकिन कांड दैनिकी की कंडिका 38 एवं 39 में साक्षीगण उमेश ठाकुर एवं अश्वनी कुमार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उभय पक्ष आपस में गोतिया एवं पट्टीदार है और दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। कांड दैनिकी की कंडिका 54 में जख्मी संजय कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उनके जख्म को साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 12 एवं जमानत आवेदन के साथ संलग्न कागजातों से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गई है और उभय पक्ष आपस में गोतिया एवं पट्टीदार है जिसका समर्थन आज सुनवाई के क्रम में कुमार मनीष (सूचक) एवं जख्मी संजय कुमार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किये है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थितः हर्षित सिंह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–402/2026

भुवनेश्वर ठाकुर उर्फ भुनेश्वर ठाकुर वगैरह बनाम् बिहार सरकार

आदेश पर नियत की तिथि	01.04.2026
आदेश की तिथि	01.04.2026
अपलोड करने की तिथि	02.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy not Official